

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम - वैर (भरतपुर)

विनोद कुमार

बनाम

सतीस वगै०

किस्म मुकदमा- दावा अन्तर्गतधारा 188 आर.टी.एक्ट

55

सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6.05.2024  20-6-24	<p>वादी वकील श्री रविद्र कुमार शर्मा द्वारा दावा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को रजि० ए.डी. सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.06.2024 को पेश हो।</p> <p>फरीकन उपस्थित/अनु० पोंटासोन अधिकारी पत्रावली दिनांक 20-6-24 को पेश है। रीडर उपखण्ड अधिकारी, वैर</p>	
27-6-24	<p>पत्रावली पेश हुई / वकील वादी अनु० / वादी को सब सब काट कर आवाज लगावई गई किन्तु - याज्ञाण्य समग्र तब उपस्थित नहीं हुए कतः दावा वादी अदम दालरी व अदम फेरवी में स्वारिज किया जाता है / पत्रावली फर्मल शुभाट होकर वाद तबमील तारिखतं यफ्त है /</p> <p>(सीधन चापस) R.A.S उपखण्ड अधिकारी वैर</p>	

अपराध - न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम - वैर (भरतपुर)

विक्टर कुमार

बनाम



सतीश आदि

किस मुकदमा - प्रार्थना पत्र रिसीवर अन्तर्गतधारा 212 आर.टी.एक्ट

नं०

55/24

सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.05.2024	<p>प्रार्थी के वकील श्री रविद्र कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये रजि० ए.डी नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>फरीकन उपस्थित/अनु. पोटासोन अधिसूचना प्रमाण पत्रावली पूर्वआज्ञा अनुसार दिनांक 21.6.24 का पेश है। रीडर अपखण्ड अधिकारी, वैर</p>	
26.6.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी अनुपस्थित वकील वादी को रुक रुक कर कई बार आवाज लगावाई गई किन्तु आपातकाल समय तक उपरोक्त नहीं हुये अतः याथा/शां पत्रावली प्रार्थी अग्रम हाजरी व अग्रम पेशकी में रखाविज किया जाता है। पत्रावली केवल सुमाट होकर कार्य वकालत कारिषल बन्द हो।</p> <p style="text-align: center;"> ( सीचिन घादव ) R.A-S उपखण्ड अधिकारी वैर</p>	
27.6.24		